**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-2021**

**दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ**

**स्वैच्छिक कार्बन बाजारों के संचालन के लिए दिशानिर्देश**

**2021. श्री बी. के. पार्थसारथीः**

**श्री मोहिब्बुल्लाहः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में स्वैच्छिक कार्बन बाजारों के संचालन के लिए कोई कानूनी ढांचा या दिशानिर्देश जारी/स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय कार्बन बाजार ढांचे के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में लागू नियमों, लेखा प्रोटोकॉल और सत्यापन तंत्रों का एक एकीकृत सेट स्थापित किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने कार्बन क्रेडिट जारी करने के लिए आधार वर्ष, उत्सर्जन कारक और विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं के प्रकार जैसे महत्वपूर्ण घटकों को निर्दिष्ट किया है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार ने अनुकूलता सुनिश्चित करने और सीमा पार क्रेडिट हस्तांतरण या व्यापार को सक्षम बनाने के लिए भारत के कार्बन बाजार को अंतर्राष्ट्रीय मानकों या वैश्विक कार्बन बाजारों के साथ संरेखित करने हेतु कोई योजना तैयार की है या विचार कर रही है; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**विद्युत राज्य मंत्री**
**(श्री श्रीपाद नाईक)**

**(क) से (घ) :** केंद्र सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के परामर्श से कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) को अधिसूचित किया है, जिसमें दो तंत्र परिभाषित किए गए हैं - अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र।

अनुपालन तंत्र के अंतर्गत, 'बाध्यकारी संस्थाओं' के रूप में नामित उत्सर्जन-प्रधान उद्योगों को निर्धारित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (जीईआई) लक्ष्यों का अनुपालन करना आवश्यक है। ऑफसेट

तंत्र के अंतर्गत, गैर-बाध्यकारी संस्थाएँ कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, निष्कासन या इससे बचने के उद्देश्य से अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत करा सकती हैं। दोनों तंत्रों के लिए विस्तृत प्रक्रियाएँ पहले ही प्रकाशित की जा चुकी हैं, जिनमें सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (एमआरवी) ढाँचा शामिल है।

**(ङ) और (च) :** भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट जारी करने के लिए आधार वर्ष, उत्सर्जन कारक और विभिन्न क्षेत्रों को पहले ही निर्दिष्ट कर दिया है। आठ विभिन्न क्षेत्रों नामतः लुगदी एवं कागज़, एल्युमीनियम, सीमेंट एवं क्लोर-क्षार, लौह एवं इस्पात, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स और वस्त्र में बाध्यकारी संस्थाओं के लिए जीईआई लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने वाली मसौदा अधिसूचनाएँ प्रकाशित की जा चुकी हैं। इसके अलावा, ऑफसेट तंत्र के अंतर्गत विभिन्न परियोजना गतिविधियों के लिए आठ कार्यप्रणाली भी प्रकाशित की गई हैं।

**(छ) और (ज) :** सीसीटीएस के कार्यान्वयन हेतु प्रकाशित उपरोक्त प्रक्रियाएँ वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं। तथापि, कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के सीमा-पार अंतरण या व्यापार संबंधी निर्णय, उभरती आवश्यकताओं के अनुसार, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (एनडीएआईएपीए) द्वारा लिए जाएँगे।

**********